

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 105 / 2010

दर्ज दिनांक:—08.07.2010

1. लक्ष्मणसिंह पता—प्रार्थी

बनाम

2. काशीराम पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक

सोनीराम शर्मा

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण दिनांक 05.05.2014 को अन्तिम डिक्री किया गया जिसकी अपील प्रार्थी छीतरिया ने न्यायालय आर.ए.ए भरतपुर में की गई। आर.ए.ए. साहब द्वारा प्रार्थी छीतरिया का अपील स्वीकार कर अ.ख.नं. 693 की पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा 0-1-R.10 CPC पेश कर पक्षकार बनने का निवेदन किया। जिसे प्रार्थी छीतरिया द्वारा दिनांक 23.04.2018 को नोट प्रेस में खारिज करा लिया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र 0-1-R.10 CPC खारिज करा दावा के निर्णय दिनांक 05.05.2014 का बहाल करने का निवेदन किया है। जिसमें दोनो पक्षों में से किसी को अपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी प्रा.पत्र नोट प्रेस में खारिज किये जाने पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2014 प्रभावी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

